एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड

विषय - सूची

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक-मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	9
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	10
5.	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	25
6.	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा	26
7.	नकद प्रवाह विवरणी	27
8.	खातों के भाग की अनुसूचियां	28

निदेशक-मंडल (31.01.2011 को)

श्री अरविन्द जाधव — अध्यक्ष

श्री वी. के. शर्मा

श्री एस. चन्द्रशेखर

श्री विजय पॉल

कप्तान ए. एस. सोमन

श्री एल. आर. एस. रेड्डी

सैय्यद नासिर अली

सचिव

श्री अरूण के. गोयल

लेखापरीक्षक

मैसर्स प्रसाद आज़ाद एंड कंपनी
चार्टरित लेखापाल
1207, सूर्य किरण,
19, कस्तुरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110 001.

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

सिंडीकेट बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कमरा नं. 205, द्वितीय तल,
G+5 बिल्डिंग, टर्मिनल-I,
आई.जी.आई. एयरपोर्ट, पालम,
नई दिल्ली-110 037.

निदेशकों की रिपोर्ट

आपकी कम्पनी के निदेशकों को वर्ष 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि की लेखा परीक्षित विवरणी सहित 27वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

वर्ष के दौरान, सभी चार सीआरजे विमानों के प्रचालन में लगने के बाद यात्री राजस्व में वृद्धि होने से कम्पनी को 41.54 करोड़ रु. की कमतर (पिछले वर्ष 81.82 करोड़ रु.) प्रचालन हानि हुई है।

वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन गत वर्ष की तुलना में इस प्रकार रहे :

वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपए में)

विवरण	2009-10	2008-09
प्रचालन राजस्व	**36862.80**	28866.69
प्रचालन व्यय	**40794.81**	36999.69
प्रचालन लाभ/(हानि)	**(3932.01)**	(8133.00)
पूर्वावधि समायोजन	**222.04**	49.54
वर्ष के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	**(4154.05)**	(8182.54)
वर्ष के लिए निवल लाभ (हानि) कर पश्चात	**(4154.05)**	(8182.54)
शेयर पूंजी	**225.00**	225.00

वास्तविक निष्पादन

विवरण		2009-10	2008-09
ए.टी.के.एम.	(मिलियन में)	**60.352**	48.20
आर.टी.के.एम.	(मिलियन में)	**38.086**	28.90
वहन किए गए यात्री	(मिलियन में)	**0.455**	0.318
सीट घटक	(%)	**66.30**	57.00
भार घटक	(%)	**63.10**	59.96

विमान बेड़े की स्थिति

वर्ष के अन्त में कम्पनी के विमान बेड़े में 17 विमान लीज़ पर रहे जिनकी स्थिति इस प्रकार है :-

विमान का प्रकार	विमानों की संख्या	
बोइंग 737-200 मालभाड़ा	**06**	नैसिल से लीज़ पर
एटीआर-42-320	**07**	विभिन्न ओवरसीज़ लीज़कर्ताओं से लीज़ पर
बोम्बारडियर सीआरजे 700	**04**	विभिन्न ओवरसीज़ लीज़कर्ताओं से लीज़ पर

वर्ष 2009-10 के दौरान एक सीआरजे विमान को अप्रैल, 2009 में विमान बेड़े में जोड़ा गया।

नेटवर्क/नए मार्ग

वर्ष के अंत तक देश भर में कम्पनी के नेटवर्क पर यात्री परिचालन के लिए 28 स्टेशन रहे, इसके अलावा वर्ष के दौरान मुम्बई-नागपुर-मुम्बई, बंगलौर-चेन्नई-नागपुर, कोलकाता-दिल्ली-नागपुर और कोलकाता-गुवाहाटी-इम्फाल-अगरतला मार्गों पर डाक विभाग (डीओपी) के लिए मालभाड़ा प्रचालन भी किया गया।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित नए मार्गों पर सेवाएं आरंभ की हैं :-

(क) एटीआर विमान के साथ :

- दिल्ली/अमृतसर/दिल्ली-6 बार/सप्ताह
- दिल्ली/देहरादून/दिल्ली-6 बार/सप्ताह
- कोलकाता/तेजपुर/सिल्चर/कोलकाता-3 बार/सप्ताह
- कोलकाता/शिलॉंग/कोलकाता-3 बार/सप्ताह

(ख) सीआरजे विमान के साथ :

- दिल्ली / कोयम्बटूर / दिल्ली - 6 बार / सप्ताह
- दिल्ली / मंगलौर / कालीकट / दिल्ली - 3 बार / सप्ताह
- दिल्ली / कालीकट / मंगलौर / दिल्ली - 3 बार / सप्ताह
- दिल्ली / गुवाहाटी / दिल्ली - 6 बार / सप्ताह

उत्तर पूर्व में प्रचालन

एलाइंस एयर उत्तर पूर्वी परिषद के साथ हुए एमओयू के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में एटीआर विमानों के साथ वर्ष 2002 से वायु सेवाओं का प्रचालन कर रही है। एनईसी के साथ प्रारंभ में यह व्यवस्था 5 वर्ष की अवधि के लिए थी जिसे अब आगे वर्ष 2011 के अंत तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

मानव संसाधन

वर्ष के अन्त में कम्पनी में कर्मचारियों की संख्या 691 (734) थी जिसमें से 644 (692) कर्मचारी संविदा पर तथा शेष नैसिल से प्रतिनियुक्ति पर थे। 644 संविदात्मक कर्मचारियों में 237 महिला कर्मचारी हैं जोकि कुल कर्मचारी संख्या का 37% है। कर्मचारियों की संख्या में 37 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति और 62 अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी हैं।

इंजीनियरी एवं अनुरक्षण संबंधी गतिविधियां

कम्पनी के विमान बेड़े के अनुरक्षण के लिए इंजीनियरिंग विभाग निरन्तर अपना अमूल्य सहयोग और सेवाएं दे रहा है।

एटीआर, बोम्बारडियर सीआरजे 700 और बी-737 विमान बेड़े का निर्माताओं के योजना दस्तावेज (एमपीडी) के आधार पर डीजीसीए द्वारा अनुमोदित शेड्यूल के अनुसार अनुरक्षण किया जा रहा है और हमारे अनुभव के आधार पर तथा निर्माताओं और नियामक प्राधिकारी की सिफारिश से कोई अन्य अतिरिक्त कार्य भी किया जाता है। इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

एटीआर 42-320 विमान

- एटीआर 42-320 विमानों की अनुरक्षण गतिविधियों के लिए कोलकाता मुख्य इंजीनियरी बेस है। एटीआर 42-320 विमानों पर '4सी' चैक तक अनुरक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए बेस को डीजीसीए का अनुमोदन प्राप्त है। इसके साथ-साथ 4 वर्षीय, 4 वर्षीय और 12 वर्षीय ढांचागत जांच के लिए भी बेस को अनुमोदन प्राप्त है। बेस में विमान के मुख्य उपकरणों को बदलने जैसे इंजन, लैंडिंग गियर, प्रोपेलर और ढांचागत मरम्मत आदि के लिए क्षमता है जो कि बड़े अनुरक्षण कार्य हैं। '1सी' चैक (4000 उड़ान घंटे) '2सी' चैक (8000 उड़ान घंटे) '4सी' चैक (16000 उड़ान घंटे) और 8 वर्षीय चैक के लिए ढांचागत सुविधाओं तथा क्षमता को विकसित किया गया है।

- एटीआर विमान अब दिल्ली से भी प्रचालित हो रहे हैं तथा दिल्ली बेस में एटीआर 42-320 विमानों पर '3ए' चैक तक के अनुरक्षण करने के लिए क्षमता है।

बोम्बारडियर सीआरजे 700 विमान

- सीआरजे 700 विमान के अनुरक्षण कार्यों के लिए दिल्ली मुख्य इंजीनियरिंग बेस है। सीआरजे 700 विमान की 'ए' जांच और इसके मल्टीपल जांच तक बेस को अनुरक्षण कार्य के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। इसके साथ-साथ 4 वर्षीय और 6 वर्षीय निरीक्षणों के लिए भी बेस को अनुमोदन प्राप्त है।

- '6 ए' जांचों तक ढांचागत सुविधाओं और क्षमताओं को विकसित किया गया है।

बी 737-200 विमान

एलाइंस एयर का बी-737-200 विमानों के लिए दिल्ली मुख्य अनुरक्षण बेस है, जोकि डीजीसीए से अनुमोदित है। बी-737-200 विमानों पर ट्रांजिट चैक से '3ए' चैक तक अनुरक्षण शेड्यूल एलाइंस एयर द्वारा पूरे किए जा रहे हैं।

मालवाहक बोईंग 737 की मुख्य अनुरक्षण गतिविधियां नैसिल द्वारा की जाती है जबकि '3ए' चैक तक सभी लाइन अनुरक्षण गतिविधियां एलाइंस एयर द्वारा पूरी की जाती है।

- **बाहरी स्टेशनों पर ढांचागत सुविधाएं**

  आवश्यक लाइन अनुरक्षण सुविधा, विशेष रूप से ट्रांजिट अनुरक्षण सुविधा को विकसित किया गया है। सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं तथा उन्हें बनाए रखा जा रहा है। जब कभी भी आवश्यक हो नैसिल से सहायता प्राप्त की जा रही है। एटीआर 42-320 विमान पूर्वी क्षेत्र के 12 स्टेशनों पर परिचालन कर रहे थे जिसमें से 11 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और 10 स्टेशन उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में तथा सीआरजे 6 स्टेशनों पर प्रचालित कर रहे थे।

- **गुणवत्ता नियंत्रण**

  एटीआर 42-320, सीआरजे - 700 और बोईंग- 737 विमानों से संबंधी सभी गुणवत्ता नियंत्रण कार्य जैसे विमान, विमान प्रणाली, उपकरणों, तकनीकी खामियों को दूर करने संबंधी कार्य विश्वसनीयता, देरी और त्रुटि पड़ताल तथा स्थायी अन्वेषण बोर्ड (पीआईबी) की सिफारिशों आदि को लागू करने संबंधी सभी कार्य एलाइंस एयर द्वारा किए जा रहे हैं।

- **तकनीकी प्रशिक्षण**

  एटीआर 42-320 विमान के पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एयरलाइंस द्वारा इन-हाउस ही दिए गए हैं। एटीआर-सीआरजे और बोईंग विमानों से संबंधित अन्य तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए इंजीनियरिंग कार्मिकों को एअर इंडिया इंजीनियरिंग प्रशिक्षण स्कूल और उत्पादकों द्वारा अनुमोदित सिफारिश की प्रशिक्षण सुविधाओं में भेजा जाता है। वर्ष के दौरान 197 इंजीनियरिंग कार्मिकों ने इन-हाउस पुनःश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

उड़ान संरक्षा

कम्पनी का अपना एक स्वतन्त्र उड़ान सुरक्षा विभाग है। जो कि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप एयरलाइन के लिए रक्षात्मक और अनुसंधनात्मक दोनों कार्य करता है। रक्षात्मक संरक्षा गतिविधियां नियामक जरूरतों के अनुरूप व कम्पनी की नीतियों के अनुसार अनुपालन की जाती है। इसमें कॉकपिट वॉयस रिकार्डर मॉनीटरिंग, फ्लाइट डाटा रिकार्डर मानीटरिंग, एयरलाइन फील्ड इंस्पेक्शन तथा प्रचालन और प्रशिक्षण पर निगरानी रखना शामिल है पुनरावृत्ति से बचाव के लिए सभी रिपोर्ट की गई घटनाओं और जांच-पड़तालों तथा सिफारिशों और फीडबैक को प्रचालन प्रक्रिया और नीतियों में शामिल किया जाता है, जांच डीजीसीए के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर की जाती है।

विमान और यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कुछ सुरक्षात्मक उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है

- उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन (FOQA) कार्यक्रम के साथ मुख्य कार्य उड़ानों पर निगरानी रखना है।
- उड़ान घटना जिसे नियामक मानकों के अनुसार इंसीडेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है उसकी पड़ताल डीजीसीए के वायु संरक्षा निदेशालय के सहयोग से एयरलाइन के जांच बोर्ड (Investigation Board) द्वारा की जाती है।
- जांच बोर्ड की सिफारिशों को संबंधित विभागों को सिफारिशों के अनुपालन के लिए भेजा जाता है।
- एयरलाइन ने विमानों के फ्लाइट डाटा रिकार्डर से डाटा डाउनलोड करने और फ्लाइट डाटा का मॉनीटरिंग करने के लिए सुविधा की स्थापना की है
- एयरलाइन के संरक्षा मूल्यांकनों के लिए नियमित रूप से आंतरिक संरक्षा ऑडिट किए जाते हैं और परिणामों पर कार्रवाई की जाती है। जिसकी रिपोर्ट डीजीसीए को भी भेजी जाती है।

प्रशिक्षण

एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि. विमानचालकों केबिन क्रू और फ्लाइट डिस्पैचरों के लिए प्रारंभिक और पुनश्चर्या दोनों प्रकार का इन-हाउस प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और वर्ष 2009-10 में निम्नलिखित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए:

i) विमानचालक :

1. विनियमों के अनुपालन करने की दृष्टि से सभी क्रू सदस्यों के लिए वर्ष में एक बार रिकरेंट प्रशिक्षण लेना आवश्यक है और इस वर्ष में पायलटों के लिए तकनीकी और निष्पादन रिफ्रेशर में अभिनवता प्राप्त करने के लिए 10-बी 737-200 रिफ्रेशर, 06-सीआरजे 700 रिफ्रेशर और 15 एटीआर 42 रिफ्रेशर आयोजित किए गए।

2. स्थल प्रशिक्षणों के साथ-साथ पायलटों के लिए सिमुलेटर प्रशिक्षण प्राप्त करना भी आवश्यक है। जिससे इस दक्षता जांच से उनकी उड़ान कुशलता को रिफ्रेश किया जा सके। अभिनवता प्राप्त करने के लिए और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से वर्ष 2009-10 में सभी विमान चालकों को बोईंग 737 पर कुल 340 घंटे का सिमुलेटर समय, सीआरजे 700 पर 190 घंटे का सिमुलेटर समय और एटीआर 42 पर 438 घंटे का सिमुलेटर समय उपयोग में लाया गया।

ii) केबिन कर्मी :

1. विमान की सुरक्षा और आपातस्थिति प्रक्रिया पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण और कन्वर्जन प्रशिक्षण के लिए 144 केबिन अटैण्डेंट के लिए 24 रिफ्रेशर और 02 कन्वर्जन प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

2. एयरबस प्रचालन हेतु नैसिल में तैनाती के लिए नैसिल हैदराबाद में दिल्ली से 36 केबिन कर्मियों, मुम्बई से 23 केबिन कर्मियों और चेन्नई से 09 केबिन कर्मियों के लिए कन्वर्जन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

भंडार

विमानों के हिस्से पूर्जे और उपभोज्य मदों का नैसिल के ओएसिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मूल्यांकन और नियंत्रण किया जाता है। जिसका उपयोग नैसिल और एएएसएल की मालसूची के लिए किया जाता है।

भविष्य का परिप्रेक्ष्य

भविष्य के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी का स्वरूप बदलने के प्रस्ताव में इसे क्षेत्रीय बेसों के साथ मिलकर व्यवसायिक मॉडल पर चलाने का विचार है जिससे स्थानीय/क्षेत्रीय बाजार से सम्पर्क, एयरलाइन बाजार के लिए नए यात्री बेस तलाशना और आउटसोर्स फक्शन और नैसिल के सहयोग से मुख्य अन्तरदेशीय और अन्तरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए वन-स्टॉप कनेक्टिवटी उपलब्ध कराना है।

ऐसा निर्णय लिया गया है कि सभी 6 बी-737 मालभाड़ा विमानों की लीज़ को चरणों में समाप्त कर दिया जाए।

हिन्दी का प्रयोग

सरकार की राजभाषा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कम्पनी ने सभी स्तरों पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में अहम् भूमिका निभाई है। कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमे कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। समारोह के दौरान पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए।

राजकोष में अंशदान

कम्पनी में सरकार के राजकोष में बिक्री कर तथा विमानन टर्बाइन ईंधन पर लगाए जाने वाले अन्य करों के रूप में 1120.74 लाख रुपए (1388.90 लाख रुपए) का अंशदान दिया।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कम्पनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) तथा कम्पनी (कर्मचारियों का ब्यौरा) नियम 1975 के अनुसरण में कर्मचारियों से संबंधित सूचना रिपोर्ट में संलग्न है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी ब्यौरा

आपके निदेशक पुष्टि करते है :-

i) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है।

ii) उन्होंने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है, तथा उन्हें तद्नुरूप लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए है व उनका आंकलन किया है जो जिम्मेदारीपूर्ण व विवेकपूर्ण थे तथा जिससे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की स्थिति के बारे में तथा उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ एवं हानि के संबंध में सत्य एवं सही जानकारी प्राप्त हो सके।

iii) कपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की परिसम्पत्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की पहचान करने एवं उन्हें रोकने के लिए लेखों के समुचित रिकार्ड रखने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

iv) उन्होंने वार्षिक लेखे निरन्तरता के आधार पर तैयार किए है।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह नियम उन कंपनियों पर लागू है जिनकी प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रु. से अधिक है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी 2.25 करोड़ रु.है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी) ने मैसर्स प्रसाद अजाद एण्ड कं. को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लेखों पर विधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां की है। इन टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के साथ संलग्न किए गए है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की दिनांक 17.01.2011 की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। सी ऐण्ड जी ने "शून्य" टिप्पणियां दी हैं।

निदेशक मंडल

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित हुई।

कंपनी के वर्तमान निदेशक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य है :-

i)	श्री अरविन्द जाधव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष
ii)	श्री वी.के. शर्मा एसबीयू मुख्य- एमआरओ (इंजन एवं उपस्कर) नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक
iii)	श्री एस. चन्द्रशेखर निदेशक (वित्त) नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक
iv)	कप्तान ए. एस. सोमन कार्यपालक निदेशक (प्रचालन) नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक
v)	श्री विजय पॉल कार्यपालक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक
vi)	सैय्यद नासिर अली निदेशक नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक
vii)	श्री एल.आर.एस. रेड्डी निदेशक वित्त नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक

एयरलाइन व्यवसाय के प्रबंधन को प्रभारी, एएएसएल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान प्रभारी, एएएसएल श्री विपिन शर्मा, एसबीयू हैड-एमआरओ (ई एण्ड सी) नैसिल है।

निदेशक मण्डल के सदस्यों के रूप में सर्वश्री ई.के. भारत भूषण, सुश्री आभा शुक्ला और कप्तान राकेश आनन्द द्वारा प्रदत्त की गई उत्कृष्ट सेवाओं की निदेशक मण्डल सराहना करता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

निदेशक मंडल नागर विमानन मत्रालय, नैसिल एवं अन्य सरकारी एजेन्सियों से प्राप्त सहयोग, मार्ग दर्शन एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों की भी सराहना करता है।

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 25 जनवरी 2011

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) एवं कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के अधीन कर्मचारियों का ब्यौरा संबंधी विवरण

"पूरे वर्ष के लिए नियुक्त कर्मचारी"

क्र. स.	कर्म. कोड	नाम	योग्यता	पदनाम	आयु	कार्यग्रहण की तिथि	अन्तिम नियोक्ता	कार्य की प्रकृति	कुल वेतन (रु.)	जन्मतिथि
1.	10216	कप्तान राजेन्द्र सिंह	मैट्रिक	वरि. कप्तान	62	15.07.96	ईस्ट-वेस्ट	उड़ान	6443300	06.08.48
2.	10729	कप्तान जावेद अहमद	बी.एस.सी.	वरि. कप्तान	59	15.05.97	मोदी लुफ्त	उड़ान	7803142	01.01.51
3.	10978	कप्तान बी. के. केसवानी	10+2	वरि. कप्तान	64	21.06.99	जेट एयर	उड़ान	6067784	09.06.46
4.	11365	कप्तान ए.के. मल्होत्रा	सी.पी.एल	वरि. कप्तान	64	01.07.04	आई.ए.एल	उड़ान	3246367	03.06.46
5.	11386	कप्तान राजकुमार राना	एम.एस.सी	वरि.फर्स्ट आफिसर	44	29.11.06	आई.ए.एल	उड़ान	3119329	23.03.66
6.	11629	कप्तान संजीव चोपड़ा	स्नातक	फर्स्ट आफिसर	44	26.05.07	उपलब्ध नहीं	उड़ान	3154380	17.02.66
7.	11656	कप्तान राजेश सिंह नेगी	बी.कॉम	फर्स्ट आफिसर	40	25.10.07	यूनिटर हैलीकाप्टर्स प्रा.लि.	उड़ान	3074529	08.10.69
8.	11662	कप्तान तरूण कुमार	बी.एस.सी., एल.एल.बी.	फर्स्ट आफिसर	40	22.11.07	उपलब्ध नहीं	उड़ान	3060828	10.06.70
9.	11677	कप्तान अनुराग	10+2 सी.पी.एल. आर.टी.आर.(ए)	फर्स्ट आफिसर	43	28.11.07	उपलब्ध नहीं	उड़ान	3105528	04.06.67
10.	11683	कप्तान कपिल कुमार सिंह	एम.ए.	फर्स्ट आफिसर	46	11.12.07	उपलब्ध नहीं	उड़ान	3097131	22.03.64
11.	11698	कप्तान प्रत्यूश निरंजन व्यास	बी.कॉम	फर्स्ट आफिसर	39	28.04.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2982369	01.07.71
12.	11704	कप्तान अंशुल शर्मा	एम.एस.सी	फर्स्ट आफिसर	32	15.05.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	3270681	12.12.78
13.	11719	कप्तान कौस्तव कुण्डु	उपलब्ध नहीं	फर्स्ट आफिसर	40	15.05.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2994557	15.11.70
14.	11725	कप्तान राजेश कुमार तांक	बी.ए.	फर्स्ट आफिसर	39	15.05.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	3037163	17.09.71
15.	11731	कप्तान देवाशीष रॉय	बी.एस.सी.	फर्स्ट आफिसर	47	26.05.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	3066460	22.06.63
16.	11746	कप्तान मुन्ना कुमार पटेल	10+2	फर्स्ट आफिसर	34	30.07.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	3009845	06.05.76
17.	11752	कप्तान अरिज जे इंजीनियर	बी.कॉम	फर्स्ट आफिसर	45	09.08.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2667228	07.12.65
18.	60111	कप्तान संजय गुप्ता	10+2 साइंस ए.एम. ए.ई.एस.आई	वरि. कप्तान	44	10.12.02	उपलब्ध नहीं	उड़ान	11114598	02.03.66
19.	60402	कप्तान सुनील कुमार	10+2	वरि. कप्तान	31	13.05.06	उपलब्ध नहीं	उड़ान	7183451	16.04.79
20.	60561	कप्तान प्रदीप शर्मा	एम.एस.सी. बीई (एयरो)	वरि. कप्तान	57	10.11.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	6326630	24.05.53
21.	11449	कप्तान प्रशांत शर्मा	बी.एस.सी.	वरि. कप्तान	37	29.10.05	उपलब्ध नहीं	उड़ान	4440412	27.09.73
22.	11455	कप्तान मानव शर्मा	बी.ए.	वरि. कप्तान	30	01.11.05	उपलब्ध नहीं	उड़ान	4436116	02.03.80
23.	11524	कप्तान दिव्या के. सांघवी	बी.एस.सी.	फर्स्ट आफिसर	38	01.02.06	बाम्बे फ्लाइंग क्लब,मुंबई	उड़ान	2848985	27.08.72
24.	11608	कप्तान के. अश्विन कुमार	बी.एस.सी.	फर्स्ट आफिसर	37	02.08.06	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2871341	04.04.73
25.	11641	कप्तान तरनप्रीत सिंह गुजराल	10+2	फर्स्ट आफिसर	23	25.10.07	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2827394	27.09.87
26.	60312	कप्तान गिरीश कुमार शर्मा	बी.एस.सी.	फर्स्ट आफिसर	38	20.10.04	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2753008	30.09.72
27.	60354	कप्तान सुरिन्द्र कुमार	बी.एस.सी.	वरि. कप्तान	42	01.02.06	उपलब्ध नहीं	उड़ान	4512310	20.09.68
28.	60423	कप्तान नवीन सरोहा	बी.ए.	फर्स्ट आफिसर	33	29.08.06	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2790390	13.02.77
29.	85013	कप्तान ब्रह्म प्रकाश	उपलब्ध नहीं	वरि. कप्तान	53	12.01.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	5604956	01.07.57
30.	85028	कप्तान हेमन्त कुमार भाटिया	बी.ए.	फर्स्ट आफिसर	39	25.01.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2798403	03.04.71
31.	85034	कप्तान प्रवीन शर्मा	उपलब्ध नहीं	फर्स्ट आफिसर	47	24.01.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2755783	29.11.63
32.	85055	कप्तान के चैरियन	उपलब्ध नहीं	वरि. कप्तान	57	01.01.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2834675	20.05.53
33.	85061	कप्तान तनुश्री माथुर	10+2	फर्स्ट आफिसर	36	15.04.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	2499705	14.02.74
34.	85076	कप्तान राहुल पुरी	उपलब्ध नहीं	वरि. कप्तान	32	08.09.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	5774581	21.12.78
35.	85082	कप्तान रोहित रिखै	उपलब्ध नहीं	वरि. कप्तान	30	17.09.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	5794416	17.04.80
36.	85097	कप्तान अजित सरोहा	उपलब्ध नहीं	वरि. कप्तान	31	17.09.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	5820425	06.06.79
37.	95015	कप्तान मिनोरू कावाकुबो	विदेशी पायलट	कमांडर	63	01.08.06	उपलब्ध नहीं	उड़ान	5714185	22.06.47
38.	98002	कप्तान बृज विक्रम शाह	विदेशी पायलट	कमांडर	43	16.07.07	उपलब्ध नहीं	उड़ान	6130424	22.07.67
39.	98003	कप्तान किंटू रेमंट नेवा	विदेशी पायलट	कमांडर	43	05.12.07	उपलब्ध नहीं	उड़ान	5543750	03.12.67
40.	10002	कप्तान एंजेल रूबेन फ्रांससचिनी	विदेशी पायलट	कमांडर	60	09.03.06	उपलब्ध नहीं	उड़ान	4233649	22.02.50
41.	98010	कप्तान हेक्टार लीओन गोनिज	विदेशी पायलट	कमांडर	61	13.05.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	5315533	22.03.49
42.	98006	कप्तान जॉन अर्तुर अनीन	विदेशी पायलट	कमांडर	26	05.05.08	उपलब्ध नहीं	उड़ान	5656300	22.10.84
43.	98009	कप्तान विलियम एन केन्ने	विदेशी पायलट	कमांडर	50	07.12.07	उपलब्ध नहीं	उड़ान	5652900	12.02.60

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) एवं कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के अधीन कर्मचारियों का ब्यौरा संबंधी विवरण

"वर्ष की कुछ अवधि के लिए नियुक्त कर्मचारी"

क्र. स.	कर्म. कोड	नाम	योग्यता	पदनाम	आयु	कार्यग्रहण की तिथि	छोड़ने की की तिथि	अन्तिम नियोक्ता	कार्य की प्रकृति	कुल वेतन (रु.)	जन्मतिथि
1.	11068	कप्तान आर. आई. सिंह	10+2	फ्लीट सुपरवाइजर	61	01.11.99	23.12.09	सहारा	उड़ान	4002393	22.11.48
2.	11566	कप्तान एम.एस. सुन्दरम	10+2	फ्लीट कप्तान	64	08.05.06	15.02.10	उपलब्ध नहीं	उड़ान	3090069	07.05.45
3.	10011	कप्तान ऐंड्री वाहयु	विदेशी पायलट	कमांडर	46	22.01.06	08.12.09	उपलब्ध नहीं	उड़ान	4446877	22.07.64
4.	90036	कप्तान सुरजो इकुको पुरवान डोनो	विदेशी पायलट	कमांडर	49	01.09.06	25.06.09	उपलब्ध नहीं	उड़ान	1472664	04.11.61
5.	98004	कप्तान फ्रैंसन सर्ज	विदेशी पायलट	कमांडर	42	20.12.07	14.02.10	उपलब्ध नहीं	उड़ान	5794613	30.04.68
6.	98008	कप्तान जुनाईदी नासुतन	विदेशी पायलट	कमांडर	50	26.07.08	30.04.09	उपलब्ध नहीं	उड़ान	418300	11.07.60
7.	98100	कप्तान अमनेर सिफुनेनटस बरहालैज	विदेशी पायलट	कमांडर	47	11.07.09		उपलब्ध नहीं	उड़ान	4572634	14.03.63
8.	98101	कप्तान जॉन कार्लोज मैरीनेज सरजोसा	विदेशी पायलट	कमांडर	48	22.07.09		उपलब्ध नहीं	उड़ान	4401350	17.03.62
9.	98102	कप्तान एकोगोयन रोबेटो एंटोनियो	विदेशी पायलट	कमांडर	53	17.12.09		उपलब्ध नहीं	उड़ान	1209837	08.09.57
10.	60651	कप्तान सुरेन्द्र सिंह	बी.एस.सी.	वरि. कप्तान	40	26.10.09		उपलब्ध नहीं	उड़ान	2189509	02.06.70
11.	85103	कप्तान हरदीप सिंह मल्होत्रा	बी.एस.सी.	वरि. कप्तान	44	30.04.09		उपलब्ध नहीं	उड़ान	5271660	11.11.66

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि.** के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। बताया गया है कि यह उनके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अधीन 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि.** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कामकाजी कागजात देखे बिना की गई है तथा मुख्यतः यह सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कर्मियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा कुछ लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखा परीक्षा में मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं आया है जिस पर या लेखा परीक्षकों की अनुपूरक रिपोर्ट पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन कोई टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./-
इला सिंह
प्रधान निदेशक - वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन **सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-I, नई दिल्ली**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 जनवरी 2011

एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए **एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (एएएसएल)** के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त लाभ-हानि खातों एवं कम्पनी की नकद प्रवाह विवरणी की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय ब्यौरे कम्पनी के प्रबंध मण्डल की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय ब्यौरों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत देना है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। यह मानक अपेक्षा रखते हैं कि हम योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें ताकि हम आश्वस्त हों कि वित्तीय ब्यौरों में कोई बड़ी खामी नहीं है। लेखा परीक्षा में टेस्ट के आधार पर रकम से संबंद्ध साक्ष्य और वित्तीय ब्यौरों में बताई गई जानकारी की जांच शामिल होती है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल की गई उन लेखा नीतियों और प्रबंध मण्डल द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्राक्कलनों के साथ-साथ सम्पूर्ण वित्तीय ब्यौरों के प्रस्तुतीकरण की जांच करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि **हमारे अभिमत के लिए लेखा परीक्षा उचित आधार प्रदान करती है। कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली तथा लेखा प्रक्रिया के संबंध में ये मानक समग्र रूप से पर्याप्त नहीं हैं।**

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा (इसके आगे अधिनियम कहलाएगा) 227 की उपधारा (4ए) के अधीन भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनी (लेखा परीक्षा) आदेश, 2003 यथासंशोधित के अनुसार अपेक्षित तथा हमारे द्वारा संगत समझी गई ऐसी जांच और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

2. उपरोक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुबंध में दी गई हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हमें कहना है कि :

   (i) **आगे दिए गए पैरा (ix), (x), (xi), (xiv), (xvii), (xviii), (xx) और (xxiii) में बताए गए कारणों के अलावा** हमने ऐसी सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है।

   (ii) **आगे दिए गए पैरा (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xxii), (xxiii) तथा (xxiv) में दिए गए ब्यौरे को छोड़कर** जहां तक पुस्तकों की हमारी जांच से स्पष्ट है हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि अनुसार अपेक्षित लेखाओं की उपयुक्त पुस्तकें रखी हैं।

   (iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाता और नकद प्रवाह विवरणी लेखा पुस्तकों के अनुरूप बनाई गई है।

   (iv) **आगे दिए गए उप पैरा (x), (xii), (xiii), (xv), तथा (xxii) में दिए गए ब्यौरे को छोड़कर** हमारे मतानुसार इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता और नकद प्रवाह विवरणी कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दिए गए लेखा मानकों के अनुरूप है।

   (v) सरकार की दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं. जीएसआर-829 (ई) के सन्दर्भ में, सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधानों को लागू करने की छूट है।

   (vi) **रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय विवरण निरन्तरता के आधार पर तैयार किए गए हैं। वर्ष में 4154.05 लाख रु. की हानि की दृष्टि से संचित हानि 51223.23 लाख रु. हुई जिसके परिणाम स्वरूप 55152.27 लाख रु. के नकारात्मक नेटवर्थ के रूप में हुआ और कम्पनी पर 31 मार्च, 2010 को अपनी होल्डिंग कम्पनी नैसिल का 57983.40 लाख रु. बकाया है। (पिछले वर्ष के 54229.21 लाख रु. के बकाये पर 3754.19 लाख रु. की बढ़ोत्तरी हुई है।) हमें बताया गया है कि निरन्तरता की कल्पना होल्डिंग कम्पनी नैसिल द्वारा जारी पर्याप्त वित्तीय सहयोग पर निर्भर करती है और एएएसएल के विस्तार की भविष्य की योजना विधाराधीन है।**

   (vii) **नैसिल को कुल 57983.40 लाख रु. की राशि देय है जिसमें 31 मार्च, 2009 तक की 54229.21 लाख रु. की वह राशि शामिल है जिसे नैसिल/पूर्व इंडियन एयरलाइंस द्वारा 31 मार्च, 2009 तक अपने खातों में बट्टे खाते डाल दिया गया था। लेकिन कम्पनी ने तदनुसार देयताओं को अपने खातों में नहीं लिया, नैसिल के 21 मार्च, 2008 के पत्र पर एएएसएल द्वारा विशेषज्ञों से ली गई राय के आधार पर यह बताता है कि नैसिल का बट्टे खाते डालना भविष्य में इसे एलाइंस एयर से वसूल करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। नैसिल को देय देयताओं के वापिस न लिए जाने का प्रभाव कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर पड़ता है तो उस पर हम अपना अभिमत देने में असमर्थ हैं।**

   (viii) **नैसिल और एएएसएल के मध्य 29 जून, 2010 को हुए एमओयू के 19 नवम्बर, 2010 के अनुपूरक नोट के अनुसार हम नैसिल को देय 2079 लाख रु. का विमान लीज़ और हैण्डलिंग प्रभार और नैसिल से वसूली योग्य 33.77 लाख रु.के यातायात राजस्व के लेखांकन न किये जाने पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, जबकि उपर्युक्त से एएएसएल द्वारा तद्नुसार आय का लेखांकन कर लिया गया है जोकि राजस्व की अनुरूपयोजी लागत की अवधारणा की अवज्ञा करता है।**

   (ix) **इस रिपोर्ट के अन्तर्गत लाभ एवं हानि खाते में 19226.56 लाख रु.के यातायात राजस्व (चार्टर राजस्व को छोड़कर) जिसका लेखांकन नैसिल के खातों के आधार पर किया गया है और 456.77 लाख रु. का सेवा प्रभार खर्च तथा 2313.69 लाख रु. का अन्य प्रचालन और प्रशासनिक खर्चों को सम्मिलित किया गया है जिसका लेखांकन नैसिल द्वारा जारी जमा एवं नामे नोट्स के आधार पर किया गया है। मूलभूत, रिकार्ड्स, बाऊचर/संबंधित दस्तावेज़ों और अन्य संबद्ध ब्यौरों के अभाव में उपर्युक्त बताए गए राजस्व और व्यय उस सीमा तक असत्यापित रहे।**

   (x) **कम्पनी द्वारा अपनायी जा रही मालसूची लेखांकन की प्रणाली उचित/सम्पूर्ण नहीं है। इस संबंध में हमारे अवलोकन इस प्रकार है :-**

      (क) **एटीआर/सीआरजे विमान मालसूची के संदर्भ में, मालसूची की प्राप्ति नैसिल द्वारा की जाती है और बाद में बिना किसी इन्वायस और लागू बिक्री कर (वैट) के बिना कम्पनी को हस्तांतरित कर दी जाती है-राशि और लेखों पर इसके प्रभाव सुनिश्चित नहीं हैं। इसके अलावा इस बात का पूरा नियंत्रण नहीं है जिससे सुनिश्चित हो सके कि सभी मालसूची लेन-देन प्राधिकृत है, उस पर कार्रवाई की गई है और उनका पूरी तरह से लेखांकन किया गया है।**

(ख) विमान के हिस्से पूर्जों पर सीमा शुल्क और मालभाड़ा, जोकि विमान मालसूची के अभिन्न अंग हैं जिसमें भाड़ा, शुल्क, प्रासंगिक खर्च आदि शामिल है। कम्पनी के स्वामित्व में विमान मालसूची तथा इसके साथ-साथ उत्पादकों से लीज़ पर लिए गए विमानों की मरम्मत के लिए निर्यात किए गए घटक और हिस्से पूर्जों पर भी भाड़ा और प्रासंगिक व्यय शामिल है। मदवार विभाजन और लदान के अभाव में चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत वर्ष के अंत में रखे गए विमान के हिस्से पूर्जों और सीमा शुल्क तथा मालभाड़े का 420.67 लाख रु. का बकाया और वर्ष के दौरान 36.24 लाख रुपये की सामग्री खपत असत्यापित रहे। इसलिए इस राशि की सत्यतता और वित्तीय स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(ग) कम्पनी अपने दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता स्थित भण्डारों में मालसूची का कोई रिकार्ड नहीं रख रही है और वर्ष के अंत में खातों में दिए गए वित्तीय आकड़े नैसिल से प्राप्त सारांश के आधार पर हैं जोकि मालसूची के विभिन्न वर्गों के मूल्य को दर्शाता है। ब्यौरों के अभाव में मालसूची की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकती और लेखों पर इसके प्रभाव के लिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। आगे अनुसूची xx के खंड 4 (i) के प्रकटनों के अनुसार पिछले वर्ष तक कोलकाता में भंडार के रिकार्ड कम्पनी एएएसएल द्वारा रखे जाते थे लेकिन इस वर्ष यह बताया गया है कि यह नैसिल द्वारा रखे जा रहे हैं। इस आउटसोर्स / संशोधित व्यवस्था के संबंध में कोई स्पष्टीकरण / दस्तावेज़ हमें उपलब्ध नहीं कराए गए।

(घ) वर्ष के अंत में मालसूची की खपत प्रारंभिक स्टॉक के बकाया और वर्ष के दौरान की गई खरीद को जोड़कर वर्ष के अंत में अंतशेष स्टॉक (नैसिल द्वारा परामर्श से) बुक की जाती है बजाय इसके कि वास्तविक खपत की गणना और यदि कोई कमी/अधिकता है तो उसे अलग-अलग दिखाना। इस प्रकार यह आईसीएआई द्वारा जारी स्वीकृत मालसूची लेखांकन प्रक्रिया और एएस-2 (संशोधित) मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप नहीं है। इसलिए 523.26 लाख रु. की मालसूची की खपत को सत्यापित नहीं किया जा सकता और उसके लेखों पर प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(च) लेखा मानक (एएस) 2 (संशोधित) "मालसूची का मूल्यांकन" का अनुपालन नहीं करना।

i. व्यक्तिगत मदों के संदर्भ में (उपर्युक्त पैरा 2 (x)(ख) भी देखें) मालभाड़ा, शुल्क, प्रासंगिक व्यय आदि की पूरी पहचान और आबंटन किए बिना मालसूची का मूल्यांकन कर लिया गया है।

ii. इसके साथ-साथ मालसूची का मूल्यांकन दरों में न्यूनतम दर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

उपर्युक्त के लेखों पर प्रभाव सुनिश्चित नहीं हो सके।

(xi) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड, आईओसीएल और बीपीसीएल के साथ लेखों का समाधान न होने और पुष्टि न होने में व्यय/आय के तत्व शामिल हो सकते हैं। 31 मार्च, 2010 तक पुष्टि और समाधान की अनुपस्थिति में हम लेखों पर इसके प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

(xii) निपटारे के आधार पर कुछ निश्चित लेन-देन का लेखा (अनुसूची xix की लेखा नीति सं. 4 और 10 (ख), (ग) देखें) और नैसिल के क्रेडिट नोट के आधार पर विमानों के खड़ा रहने पर बीमा प्रीमियम की वापसी का क्रेडिट लेखा आईसीएआई द्वारा जारी "लेखा नीतियों के प्रकटीकरण" पर लेखा मानक एएस-1 एवं एएस-5 (संशोधित)- "अवधि का निवल लाभ या हानि, पूर्वावधि मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन" लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के अनुरूप नहीं हैं। राशि और लेखों पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(xiii) वर्ष में प्राप्ति/भुगतान के लिए 10,000/- रुपये तक की व्यक्तिगत मदों के लिए पूर्व अवधि मदों और पूर्व प्रदत्त/प्रोद्भवन खर्च के लिए कम्पनी की लेखांकन नीति (अनुसूची xix की लेखांकन नीति सं. 8 और 10 (क)) आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली और लेखांकन मानक एएस-5 (संशोधित) के अनुसार नहीं है। राशि और लेखों पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।

(xiv) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं लेखा प्रक्रिया सामान्यतः अपर्याप्त है और इसे कार्यान्वित/लागू नहीं किया जाता जिसके परिणामस्वरूप विशेषरूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में नियमित, पूरी और सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती :

- यातायात राजस्व से संबद्ध लेन-देन (चार्टर राजस्व को छोड़कर) ;
- सेवा प्रभार पर खर्च;
- बाधित उड़ानों से सम्बन्धित खर्च;
- एस.ओ.डी. टिकट पर व्यय ;
- केटरिंग ड्राई स्टोर की वापसी;
- एटीआर/सीआरजे विमान मालसूची;
- करार के अनुसार मैसर्स एटीआर से क्रेडिट की वसूली तथा लेखे में विलम्ब और परिणाम स्वरूप रोके गए करों के समायोजन में विलम्ब ;
- कर्मचारियों का छुट्टी का रिकार्ड और छुट्टियों का नगदीकरण ;
- मालभाड़ा आय के लिए डीओपी को देय तिथि के पश्चात् देरी से बिल जारी करना।

(xv) कम्पनी ने कर्मचारियों को ग्रेज्युटी की देयताओं के लिए लेखाकंन मानक एएस-15 (संशोधित) को नहीं अपनाया है जिसमें निर्धारित लाभ योजना का परिचालित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आगे कम्पनी ने आईसीएआई द्वारा जारी एएस-15 (संशोधित) (संदर्भ प्रमुख लेखांकन नीतियां अनुसूची xix की नीति संख्या 6) में आवश्यक वर्ष के अंत में प्रोद्भूत कर्मचारी लाभ को भी प्रदत्त नहीं किया है।

(xvi) अग्रिम यात्री प्राप्ति, नो शो यात्रियों से राजस्व, रद्दकरण शुल्क से आय, प्रशासनिक शुल्क की वापसी से आय व पी.एस.एफ पर अर्जित कमीशन को लेखों में न लेना। राशि और प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(xvii) डाक/कार्गो राजस्व सिंगल रेट प्रति टन किलोमीटर चार्ज किया जा रहा है बजाय इसके कि बेसिक दरों के साथ-साथ विभिन्न दरों जैसे दस्तावेज बनाने का शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, धुलाई शुल्क, डेमरेज शुल्क आदि का बिल जारी किया जाए। राशि और प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(xviii) पार्टियों, विविध लेनदार तथा अन्य देयताओं के सम्बन्ध में लेखों की प्राप्ति और देय, अग्रिम के लिए बकायों की पुष्टि न होना। इस प्रकार के बकायों की पुष्टि न होने से वित्तीय ब्यौरों पर इन समायोजनों से होने वाले प्रभाव पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

(xix) कम्पनी को सूखा भण्डार मदों की सप्लाई करने पर नैसिल द्वारा बिक्री कर (वैट) चार्ज न करना। राशि और प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(xx) निर्धारण वर्ष 1997-98, 2000-2001 तथा 2004-2005 के लिए आयकर विभाग द्वारा 307.47 लाख रु. की मांग को कम्पनी ने फुटकर देयताओं में दिखाया है। जिसे कम्पनी ने विवादित बताया है। उपर्युक्त मांग और साथ ही अन्य वर्ष के लिए आयकर निर्धारिती की स्थिति/ब्यौरे/अपील और दण्डात्मक कार्रवाई के अभाव में इस संबंध में कम्पनी की देयताओं के बारे में हम कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। राशि और इसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।

(xxi) देनदारों में एएएसएल द्वारा प्रचालित विमान के लिए 2940.35 लाख रु. की राशि शामिल है जोकि फरवरी, 2009 के लिए मैसर्स गति से वसूल की जानी है। नैसिल ने उनकी बैंक गारंटी इन्वोक कर दी है और 3000 लाख वसूल किए हैं जिन्हें एएएसएल को हस्तांतरित कर दिया गया है, इस राशि को एएएसएल द्वारा अन्य देयताओं के अधीन "सुरक्षा जमा गति" शीर्षक से इसे अलग लेखे में रखा गया है, जैसा कि मामला नैसिल और मैसर्स गति के मध्य विवादित बताया गया है जोकि मध्यस्थता अभिकरण के पास लंबित है। तदनुसार हम उपर्युक्त देनदार से वसूली न होने पर या वापसी पर हम अपना अभिमत देने में असमर्थ हैं।

(xxii) विनिमय दरों की गणना में राष्ट्रीय दर और राजस्व मदों के लेन देन की तिथि का दरों के बीच के अन्तर को विदेशी विनिमय का उतार-चढ़ाव लेखा आईसीएआई द्वारा जारी एएस-11 के अनुसार नहीं है। (संदर्भ अनुसूची xix की लेखांकन नीति सं.11 (ख) इसे संबंधित राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत प्रभारित किया जाना चाहिए था।

(xxiii) कम्पनी ने छोटी "लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006" के अन्तर्गत छोटी, लघु और मध्यम उपक्रमों की पहचान नहीं की है। इसलिए इस प्रावधान के अन्तर्गत कम्पनी की किसी के प्रति देरी से भुगतान के लिए किसी ब्याज की कोई देनदारी है तो उसे सुनिश्चित नहीं किया सकता।

(xxiv) प्रबंध मण्डल के अनुमानों के अनुसार, एएएसएल द्वारा 31.03.2009 तक कर्मचारियों को जारी की गई निःशुल्क/रियायती टिकटों को अनुषगी लाभ कर देयताओं प्रावधान में संदर्भ लेखाओं पर टिप्पणी अनुसूची xx के पैरा 1 (ई) नहीं माना गया है। इस पूर्व वर्ष कर देयताओं के अप्रावधानों परिणाम स्वरूप हानि को 275.87 लाख रु. कम करके बताया गया है।

पैराग्राफ (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi) और (xxiii) में दी गई जानकारी के संबंध में, इनमें दी गई जानकारी का लेखों पर प्रभाव के विषय में हम अपनी राय देने में असमर्थ हैं। इसके साथ पैराग्राफ (xxiv) में दी गई टिप्पणियों के प्रभाव के कारण रिपोर्ट की गई 4154.05 लाख रु. की हानि 4429.92 लाख रु. होनी चाहिए थी, संचित हानि रिपोर्ट किए गए 55377.27 लाख रु. के मुकाबले 55653.14 लाख रु. होनी चाहिए थी और चालू देयताएं और प्रावधान रिपोर्ट किए गए 74219.84 लाख रु. के मुकाबले 74495.71 लाख रु. होनी चाहिए। उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर हम रिपोर्ट करते है कि हमारी राय और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त लेखे, लेखा नीतियों और उन पर दी गई टिप्पणियों के साथ पढ़े गए हैं, अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित सूचनाओं को तदनुसार उपलब्ध कराया गया है। यह सूचनाएं भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित जानकारी प्रदान करती हैं।

(i) तुलन पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति,

(ii) लाभ-हानि खाते के संबंध में, इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की हानि;

(iii) नकद प्रवाह विवरण के संबंध में इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह।

कृते प्रसाद अज़ाद एण्ड कम्पनी
चार्टरित लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या: 001009N

हस्ता./-
(के. एम. अज़ाद)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 5125

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 दिसम्बर, 2010

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

समतिथि की हमारी रिपोर्ट पैरा '1' के संदर्भ में

(i) (क) अपनी स्थायी परिसम्पतियों के संबंध में कम्पनी द्वारा रखे गए रिकार्ड उचित तरीके से नहीं रखे गए हैं क्योंकि ये स्थायी परिसम्पतियों के मात्रात्मक ब्यौरे, परिसम्पतियों की पहचान सं. और अवस्थिति के बारे में पूरा ब्यौरा नहीं देते।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन द्विवार्षिक आधार पर किया जाना था। पिछला सत्यापन 31 मार्च 2007 को समाप्त द्विवार्षिक अवधि के लिए किया गया था। जिसके समाधान की प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। पहले किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के अवलोकनों के अनुसार अनुपयोगी और गुमशुदा परिसम्पत्तियों को बट्टे खातें डालने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। कम्पनी ने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है जोकि वर्ष 2008-09 को किया जाना था।

(ग) वर्ष के दौरान, कम्पनी के द्वारा, स्थायी परिसम्पत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग को नहीं निपटाया गया है।

(ii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष की समाप्ति के बाद कोलकाता में एटीआर भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन के अलावा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है। हमारे मत के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन की अवधि पर्याप्त अंतराल पर नहीं है।

(ख) मालसूची के उपर्युक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए प्रबंधमण्डल द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के ब्यौरे प्रलेख/सूचना हमें उपलब्ध नहीं करायी गई है। इसलिए हम कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप प्रबंध मण्डल द्वारा अपनायी गई सत्यापन की प्रक्रिया की उपयुक्तता और पर्याप्तता पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ग) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार एटीआरसीआरजे विमानों के लिए इंवेटरियों का प्रापण नैसिल द्वारा किया जाता है, और प्राप्ति जारी और अंतशेष के रिकार्ड नैसिल द्वारा रखे जाते हैं। इसके साथ प्राप्तियों के लिए एएएसएल द्वारा लेखांकन प्रतिलिपियां नैसिल से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाती है जोकि अधिकतर सभी मामलों में देर से प्राप्त होती हैं और केवल वर्ष के अंत में जारी की जाती हैं। तद्नुसार, कम्पनी ने मालसूची के उचित रिकार्ड रखे हैं या नहीं, इस पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। कोलकाता में एटीआर भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पायी गई कमियों का लेखा पुस्तकों में कार्रवाई/समायोजन नहीं किया गया है।

(iii) (क) ऐसा देखने में आया है कि अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा उचित रीति से रजिस्टर नहीं रखे गए हैं और धारा 301 के अधीन आवश्यक ब्यौरों को प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसके साथ हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान संदर्भित किसी भी पार्टी को/से न तो कोई रक्षित या अनारक्षित ऋण लिया है और न ही दिया है।

यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी का अपनी होलिंग कम्पनी नैसिल पर 57983.40 लाख रूपए का बकाया देय है। ऐसा भी देखने में आया है कि कम्पनी ने सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए पूर्व कर्मचारी को 2.61 लाख रु. का ब्याज रहित अनारक्षित ऋण दिया है (पिछले वर्ष 2.61 लाख रु.) जिसकी लम्बे समय से वसूली नहीं हुई है।

(ख) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर क्योंकि कम्पनी ने उपर्युक्त बताए गए के अलावा कोई ऋण लिया/दिया नहीं है। उपखंड (बी) से (जी) तक लागू नहीं होते।

(iv) हमारे अभिमत में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार स्थाई परिसम्पतियों की खरीद और मालसूची, राजस्व का रिकार्ड रखना, मालसूची नियंत्रण, मालसूची और हिस्से पूर्जों की बिक्री/लोनिंग तथा कुछ व्यय और सेवाओं (हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 2(xiv) को भी देखें) के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियायें कम्पनी के आकार तथा उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। कई वर्षों में लगातार इसे पूरा न किए जाने और स्थिति में सुधार न होने से आंतरिक लेखा परीक्षा में इन कमियों का अवलोकन किया है और बार-बार इसे दोहराया गया है।

(v) (क) अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत संदर्भित सम्पर्क/व्यवस्थाओं का कोई ब्यौरा हमें समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थाओं का अपेक्षित ब्यौरा यदि कोई है, रजिस्टरों में प्रविष्टि किया जाना चाहिए था, इसे अद्यतन नहीं किया गया और रजिस्टर अधूरा है और इसे कम्पनी द्वारा व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है तथा अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करता है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के तहत् की गई हमारी टिप्पणी के मद्देनजर और संगत ब्यौरो की अनुपस्थिति में हम इस खंड के प्रावधानों के अनुपालन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जोकि प्रविष्ट किए गए लेन-देन के मूल्यों के औचित्य से संबंधित है। (हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 2 (viii) को भी देखें)

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, अतः अधिनियम की धारा 58 ए एवं 58 एए के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(vii) वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य प्रबंध मण्डल द्वारा नियुक्त चार्टरित लेखा परीक्षकों की फर्म द्वारा किया गया। हमारे अभिमत में आंतरिक लेखा प्रणाली को इसके आकार, इसके कार्य की प्रकृति एवं व्यवसाय के अनुरूप सुगठित करने की आवश्यकता है। जिससे लेन-देन, विशेषकर लीज़ तथा ए.टी.आर./सी.आर.जे विमान प्रचालन से संबंधित अन्य करारों, राजस्व प्राप्ति, ईंधन लेने/भुगतान और मालसूची नियंत्रण पर और लेखा परीक्षा के समय अंतराल और आंतरिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर पर्याप्त कवरेज रखा जा सके।

(viii) हमें सूचित किया गया है कि अधिनियम की धारा 209 की उप धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने लागत रिकार्ड के रख-रखाव का निर्धारण नहीं किया है।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा कम्पनी के परीक्षित किए गए रिकार्डों के अनुसार अविवादित सांविधिक देय सहित भविष्य निधि, आयकर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सेस, बिक्री कर, स्रोत पर कर कटौती का आयकर और अन्य संवैधानिक देयताओं जैसे लागू हो। उपयुक्त प्राधिकरणों के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा करवाई जा रही है। **इसके अलावा स्रोत पर कर कटौती, कर रोकने और सेवा शुल्क की देयताओं में देरी के कुछ मामले देखने में आए हैं। सीमा शुल्क का भुगतान नैसिल द्वारा नियंत्रित किया जाता है लेकिन नैसिल से इसकी पुष्टि हमें उपलब्ध नहीं करायी गई है कि वर्ष के अंत में कोई विवादित लंबित देयताएं हैं या नहीं हैं।**

(ख) **अनुसूची XX के नोट सं. 1 (ग) में प्रकटन की गई फुटकर देयताओं जिसमें निर्धारिती वर्ष 1997-98, 2000-01 और 2004-05 के लिए औसतन 307.47 लाख रु. की विवादित आयकर मांग के लिए आयकर अपीलीय ट्रिबूनल के पास अपील के लिए लंबित है, जिसमें से वर्ष 1997-98 के लिए 140.44 लाख रुपए विरोध स्वरूप जमा करवाए गए इसके अलावा आयकर की विवादित सांवधिक देयताओं, सम्पत्ति कर, सेवा शुल्क, सेस, बिक्री कर, सीमा शुल्क, स्रोत पर कर कटौती और यथा लागू अन्य सांविधिक देयताओं के ब्यौरे हमें उपलब्ध नहीं कराये गये हैं इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।**

(x) **वर्ष के अंत में कम्पनी को संचित हानि हुई है इसका नेटवर्थ नेगेटिव रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी को नकद हानि हुई है और इससे पिछले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है।**

(xi) कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर वित्तीय संस्थानों, बैंक या डिबैन्चर धारकों को कोई राशि देय नहीं है।

(xii) कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी ने शेयर, डिबैन्चर या कोई अन्य प्रतिभूति को जमानत के रूप में गिरवी रख कर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

(xiii) हमारे मतानुसार कम्पनी की गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान चिट फंड/निधि/म्युचल बैनेफिट फंड/सोसायटी कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xiv) कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबैन्चर या अन्य निवेशों में कोई कारोबार नहीं कर रही है। तदनुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xv) कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार और हमे दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर किसी अन्य के द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर कम्पनी ने कोई गारन्टी नहीं दी है।

(xvi) कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है। तदनुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xvii) कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी ने लघु अवधि की कोई निधि नहीं जुटाई है जिसे दीर्घ अवधि निवेश के लिए इस्तेमाल किया गया हो।

(xviii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी शेयर का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है। तदनुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई डिबैन्चर जारी नहीं किए हैं। तदनुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xx) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से धन जमा नहीं किया है। तदनुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xxi) **हमें इस विषय पर कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है कि या तो वर्ष के दौरान कम्पनी में किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी का मामला न तो पाया गया और न ही हमारी जानकारी में लाया गया है इसलिए हम इसकी प्रकृति और इसमें शामिल राशि पर कोई भी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।**

कृते प्रसाद अज़ाद एण्ड कम्पनी
चार्टरित लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या: 001009N

हस्ता./-
(के. एम. अज़ाद)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 5125

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 24 दिसम्बर, 2010

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

लेखा परीक्षकों के अवलोकनों पर प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दे स्वतः स्पष्ट हैं। तथापि यथापेक्षित सूचनाएं/स्पष्टीकरण नीचे दिए जा रहे हैं :

क्र.स.	लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
1.	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा (इसके आगे अधिनियम कहलाएगा) 227 की उपधारा (4ए) के अधीन भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनी (लेखा परीक्षा) आदेश, 2003 यथासंशोधित के अनुसार अपेक्षित तथा हमारे द्वारा संगत समझी गई ऐसी जांच और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।	स्वतः स्पष्ट है।
2.	उपरोक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुबंध में दी गई हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हमें कहना है कि :	
	(i) **आगे दिए गए पैरा (ix), (x), (xi), (xiv), (xvii), (xviii), (xx) और (xxiii)** में बताए गए कारणों के अलावा हमने ऐसी सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हैं।	स्वतः स्पष्ट है।
	(ii) **आगे दिए गए पैरा (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xxii), (xxiii), तथा (xxiv)** में दिए गए ब्यौरे को छोड़कर जहां तक पुस्तकों की हमारी जांच से स्पष्ट है हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि अनुसार अपेक्षित लेखाओं की उपयुक्त पुस्तकें रखी हैं।	स्वतः स्पष्ट है।
	(iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाता और नकद प्रवाह विवरणी लेखा पुस्तकों के अनुरूप बनाई गई हैं।	स्वतः स्पष्ट है।
	(iv) **आगे दिए गए उप पैरा (x), (xii), (xiii), (xv) तथा (xxii)** में दिए गए ब्यौरे को छोड़कर हमारे मतानुसार इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता और नकद प्रवाह विवरणी कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दिए गए लेखा मानकों के अनुरूप है।	स्वतः स्पष्ट है।
	(v) सरकार की दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं. जीएसआर-829 (ई) के सन्दर्भ में, सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1)(जी) के प्रावधानों को लागू करने की छूट है।	स्वतः स्पष्ट है।
	(vi) **रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय विवरण निरन्तरता के आधार पर तैयार किए गए हैं। वर्ष में 4154.05 लाख रु. की हानि की दृष्टि से संचित हानि 51223.23 लाख रु. हुई जिसके परिणाम स्वरूप 55152.27 लाख रु. के नकारात्मक नेटवर्थ के रूप में हुआ और कम्पनी पर 31 मार्च, 2010 को अपनी होल्डिंग कम्पनी नैसिल का 57983.40 लाख रु. बकाया है। (पिछले वर्ष के 54229.21 लाख रु. के बकाये पर 3754.19 लाख रु. की बढ़ोत्तरी हुई है।) हमें बताया गया है कि निरन्तरता की कल्पना होल्डिंग कम्पनी नैसिल द्वारा जारी पर्याप्त वित्तीय सहयोग पर निर्भर करती है और एएएसएल के विस्तार की भविष्य की योजना विचाराधीन है।**	स्वतः स्पष्ट है।

क्र.स.	लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
	(vii) नैसिल को कुल 57983.40 लाख रु. की राशि देय है जिसमें 31 मार्च, 2009 तक की 54229.21 लाख रु. की वह राशि शामिल है जिसे नैसिल / पूर्व इंडियन एयरलाइंस द्वारा 31 मार्च, 2009 तक अपने खातों में बट्टे खाते डाल दिया गया था। लेकिन कम्पनी ने तदनुसार देयताओं को अपने खातों में नहीं लिया, नैसिल के 21 मार्च, 2008 के पत्र पर एएएसएल द्वारा विशेषज्ञों से ली गई राय के आधार पर यह बताता है कि नैसिल का बट्टे खाते डालना भविष्य में इसे एलाइंस एयर से वसूल करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। नैसिल को देय देयताओं के वापिस न लिए जाने का प्रभाव कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर पड़ता है तो उस पर हम अपना अभिमत देने में असमर्थ हैं।	उपयुक्त विवरण अनुसूची XX के लेखों पर टिप्पणियां संख्या 3 (i) एवं 14 (ग) (i) में दिए गए हैं।
	(viii) नैसिल और एएएसएल के मध्य 29 जून, 2010 को हुए एमओयू के 19 नवम्बर, 2010 के अनुपूरक नोट के अनुसार हम नैसिल को देय 2079 लाख रु. का विमान लीज़ और हैण्डलिंग प्रभार और नैसिल से वसूली योग्य 33.77 लाख रु. के यातायात राजस्व के लेखांकन न किये जाने पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, जबकि उपर्युक्त से एएएसएल द्वारा तद्नुसार आय का लेखांकन कर लिया गया है जोकि राजस्व की अनुरूपयोजी लागत की अवधारणा की अवज्ञा करता है।	उपयुक्त विवरण अनुसूची XX के लेखों पर टिप्पणियां संख्या 12 में दिए गए हैं।
	(ix) इस रिपोर्ट के अन्तर्गत लाभ एवं हानि खाते में 19226.56 लाख रु. के यातायात राजस्व (चार्टर राजस्व को छोड़कर) जिसका लेखांकन नैसिल के खातों के आधार पर किया गया है और 456.77 लाख रु. का सेवा प्रभार खर्च तथा 2313.69 लाख रु. का अन्य प्रचालन और प्रशासनिक खर्चों को सम्मिलित किया गया है जिसका लेखांकन नैसिल द्वारा जारी जमा एवं नामे नोट्स के आधार पर किया गया है। मूलभूत, रिकार्डों, बाऊचर/संबंधित दस्तावेज़ों और अन्य संबद्ध ब्यौरों के अभाव में उपर्युक्त बताए गए राजस्व और व्यय उस सीमा तक असत्यापित रहे।	नैसिल और एएएसएल के बीच हुए समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार नैसिल, कम्पनी के उड़ान प्रचालन के लिए बिक्री विपणन और आरक्षण सुविधाएं तथा अन्य सहायक सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। देनदारी/लेनदारी के मूल रिकार्ड होल्डिंग कम्पनी द्वारा रखे जाते हैं जिसका अपना नियत्रण और प्रक्रिया है और उसके लेखों का लेखा परीक्षण होता है। राजस्व अभिज्ञान अनुसूची XIX की लेखांकन नीति सं. 4 के अनुसार है।
	(x) कम्पनी द्वारा अपनायी जा रही मालसूची लेखांकन की प्रणाली उचित/ सम्पूर्ण नहीं है। इस संबंध में हमारे अवलोकन इस प्रकार है :- (क) एटीआर/सीआरजे विमान मालसूची के संदर्भ में, मालसूची की प्राप्ति नैसिल द्वारा की जाती है और बाद में बिना किसी इन्वॉयस और लागू बिक्री कर (वैट) के बिना कम्पनी को हस्तांतरित कर दी जाती है-राशि और लेखों पर इसके प्रभाव सुनिश्चित नहीं है। इसके अलावा इस बात का पूरा नियंत्रण नहीं हैं जिससे सुनिश्चित हो सके कि सभी मालसूची लेन-देन प्राधिकृत हैं, उस पर कार्रवाई की गई है और उनका पूरी तरह से लेखांकन किया गया है।	एएएसएल के पास विस्तृत पृष्ठ कार्यालय नहीं है, इसलिए नैसिल केवल मालसूची के प्रापण और स्टॉकिंग के लिए प्रशासनिक सहयोग प्रदान करता है। वैण्डरों का भुगतान अधिकतर कम्पनी द्वारा किया जाता है इसलिए कोई बिक्री शामिल नहीं है। उपयुक्त प्रकटन अनुसूची XX के लेखों पर टिप्पणियां के पैरा 2 (i) में किए गए हैं। एटीआर/सीआरजे मालसूची के लिए ग्रान जारी किए जाते है और मालसूची विवरणी बनाई जाती है, जिसे वर्ष के अंत में प्रमाणित किया जाता है।
	(ख) विमान के हिस्से पूर्जों पर सीमा शुल्क और मालभाड़ा, जोकि विमान मालसूची के अभिन्न अंग हैं जिसमें भाड़ा, शुल्क, प्रासंगिक खर्च आदि शामिल है। कम्पनी के स्वामित्व में विमान मालसूची तथा इसके साथ-साथ उत्पादकों से लीज़ पर लिए गए विमानों की मरम्मत के लिए निर्यात किए गए घटक और	उपयुक्त विवरण अनुसूची XX के लेखों पर टिप्पणियां संख्या पैरा 2 (iii) में दिए गए हैं।

क्र.स.	लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
	हिस्से पूर्जों पर भी भाड़ा और प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। मदवार विभाजन और लदान के अभाव में चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत वर्ष के अंत में रखे गए विमान के हिस्से पूर्जों और सीमा शुल्क तथा मालभाड़े का 420.67 लाख रु. का बकाया और वर्ष के दौरान 36.24 लाख रुपये की सामग्री खपत असत्यापित रहे। इसलिए इस राशि की सत्यतता और वित्तीय स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।	
	(ग) कम्पनी अपने दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता स्थित भण्डारों में मालसूची का कोई रिकार्ड नहीं रख रही है और वर्ष के अंत में खातों में दिए गए वित्तीय आकड़े नैसिल से प्राप्त सारांश के आधार पर है जोकि मालसूची के विभिन्न वर्गो के मूल्य को दर्शाता है। ब्यौरों के अभाव में मालसूची की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकती और लेखों पर इसके प्रभाव के लिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। आगे अनुसूची XX के खंड 4 (i) के प्रकटनों के अनुसार पिछले वर्ष तक कोलकाता में भंडार के रिकार्ड कम्पनी एएएसएल द्वारा रखे जाते थे लेकिन इस वर्ष यह बताया गया है कि यह नैसिल द्वारा रखे जा रहे हैं। इस आउटसोर्स/संशोधित व्यवस्था के संबंध में कोई स्पष्टीकरण/दस्तावेज़ हमें उपलब्ध नहीं कराए गए।	उपयुक्त विवरण अनुसूची XX के लेखों पर टिप्पणियां संख्या पैरा 2 (i) में दिए गए हैं। इस संबंध में कोई आउटसोर्स नहीं किया गया है।
	(घ) वर्ष के अंत में मालसूची की खपत प्रारंभिक स्टॉक के बकाया और वर्ष के दौरान की गई खरीद को जोड़कर वर्ष के अंत में अंतशेष स्टॉक (नैसिल द्वारा परामर्श से) बुक की जाती है बजाय इसके कि वास्तविक खपत की गणना और यदि कोई कमी/अधिकता है तो उसे अलग-अलग दिखाना। इस प्रकार यह आईसीएआई द्वारा जारी स्वीकृत मालसूची लेखांकन प्रक्रिया और एएस-2 (संशोधित) मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप नहीं है। इसलिए 523.26 लाख रु. की मालसूची की खपत को सत्यापित नहीं किया जा सकता और उसके लेखों पर प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।	उपयुक्त विवरण अनुसूची XX के लेखों पर टिप्पणियां संख्या पैरा 2 (i) में दिए गए हैं।
	(च) लेखा मानक (एएस) 2 (संशोधित) "मालसूची का मूल्यांकन" का अनुपालन नहीं करना।	
	i. व्यक्तिगत मदों के संदर्भ में (उपर्युक्त पैरा 2 (x)(ख) भी देखें) मालभाड़ा, शुल्क, प्रासंगिक व्यय आदि की पूरी पहचान और आबंटन किए बिना मालसूची का मूल्यांकन कर लिया गया है।	उपयुक्त विवरण अनुसूची XX के लेखों पर टिप्पणियां संख्या पैरा 2(iii) में दिए गए हैं।
	ii. इसके साथ-साथ मालसूची का मूल्यांकन दरों में न्यूनतम दर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।	मालसूची भारित औसत लागत के आधार पर मूल्यांकित की गई है जैसाकि अनुसूची III के लेखों में बताया गया है
	उपर्युक्त के लेखों पर प्रभाव सुनिश्चित नहीं हो सके।	